झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

पंचदश (बजट)– सत्र

वर्ग– 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 28 पौष, 1940 [श0] / 18 जनवरी, 2019 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	स0– 09	श्री अशोक कुमार	स्वास्थ्य केन्द्र भवन की उपयोगिता।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.01.2019
02–	स0– 06	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पी0एच0सी0 भवन चालू कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.01.2019
03–	स0– 11	श्री जगरनाथ महतो	ए0एन0एम0 की पढ़ाई चालू कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.01.2019
04–	स0– 02	श्री नागेन्द्र महतो	स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	10.01.2019
05–	रा0– 07	श्री अमित कु0 मंडल	भूमि का नेचर परिवर्तन।	राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार	11.01.2019
06–	स0– 13	श्री केदार हजरा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलाना।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.01.2019
07–	रा0– 03	श्रीमती सीमा देवी	दोषी पदाधिकारी/ कर्मचारी पर कार्रवाई	राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार	11.01.2019
08–	रा0– 04	श्रीमती सीमा देवी	बंदोबस्ती को रद्द करना।	राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार	11.01.2019
09–	श्रनि– 01	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	11.01.2019
10–	रा0– 05	श्री जगरनाथ महतो	अंचलाधिकारी को हटाना एवं जाँच।	राजस्व निबंध एवं भूमि सुधार	11.01.2019

01.	02.	03.	04.	05.	06
11–	स0– 04	श्री रामकुमार पाहन	उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	10.01.2019
12–	स0– 01	श्री नागेन्द्र महतो	दोषी संवेदक एवं पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	10.01.2019
13–	विधि– 01	श्री अशोक कुमार	स्टाम्प भेंडर एवं नोटरी की व्यवस्था।	विधि	11.01.2019
14–	रा0– 01	श्री रामकुमार पाहन	अतिक्रमण से मुक्त कराना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	10.01.2019
15–	स0– 12	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.01.2019
16–	रा0– 06	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	खतियान त्रुटि में सुधार।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.01.2019
17–	स0– 03	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	दोषी पदाधिकारियों से भरपाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	10.01.2019
*18–	रा0– 08	श्री अमित कु0 मंडल	गॉव को सड़क मार्ग से जोड़ना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.01.2019
19–	स0– 05	श्री दशरथ गागराई	अस्पताल का निर्माण।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.01.2019

राँची,
दिनांक– 18 जनवरी, 2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–01/2018.....387...../वि0स0, रांची, दिनांक– 16/01/19

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण / मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश 16.1.19

(सुरेश रजक)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–01/2018.....387...../वि0स0, रांची, दिनांक– 16/01/19

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.1.19

अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

ज्ञापांक– संख्या–प्रश्न–01/2018.....387...../वि0स0, रांची, दिनांक– 16/01/19

प्रतिः– कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 16.01.19

अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, रॉची।

~~सुभाष~~

* राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से ग्रामीण विकास विभाग में स्थानांतरित।

15/01/19

(1)

श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न सं0–स–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि गोड्डा जिलान्तर्गत मेहरमा प्रखण्ड के ग्राम–सिंघाड़ी एवं महागामा प्रखण्ड के ग्राम–परसा में 6 शय्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है, कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण तो कराया गया, परन्तु उसके संचालन के लिए आजतक चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों का पद सृजन नहीं किया गया है ;	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघाड़ी का पद सृजित नहीं हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा में दो चिकित्सा पदाधिकारी, एक लिपिक, एक मिश्रक, एक प्रयोगशाला प्रावैधिकी, एक परिधापक, दो ए0एन0एम0 एवं एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का पद सृजित है, जिसमें वर्त्तमान मे एक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी पदस्थापित है, शेष पद रिक्त है। पद सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिती के समक्ष विचाराधीन है।
3. क्या यह बात सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कराये गए उक्त वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र भवन जर्जर हो चुका है एवं उस भवन का उपयोग ग्रामीणों द्वारा माल–मवेशी एवं पुआल रखने में किया जा रहा है ;	ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इस बिन्दु पर तत्काल जाँच की जायेगी।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, एवं सरकार उक्त वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराने में असमर्थ हैं तो, क्या सरकार उक्त वर्णित भवन को विवाह भवन के रूप में उपयोग करने हेतु ग्रामीणों को सुपुर्द करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15/ वि0स0–07–71/2018 –40(15) स्वा0/राँची/दिनांकः– 17/1/19
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 109/वि0स0 दिनांक 11.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.1.19
सरकार के उप सचिव।

(27)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत प्रखण्ड बेड़ो के ग्राम नरकोपी मे PHC भवन 7 साल से बनकर तैयार है ;		अस्वीकारात्मक। राँची जिलान्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड के नरकोपी में पूर्व से अवस्थित/संचालित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ओ0पी0डी0 का निर्माण कराकर उत्कमित करने की योजना 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसका भवन निर्माण कार्य उपायुक्त, राँची के द्वारा चयनित कार्य एजेन्सी एन0आर0ई0पी0–1, राँची के द्वारा कराया जा रहा था। वर्तमान में उपरोक्त योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए शीघ्र हस्तगत कराने का निदेश कार्यपालक अभियन्ता, एन0आर0ई0पी0–1, राँची को सिविल सर्जन, राँची के पत्रांक–153 दिनांक 16.01.2019 द्वारा दिया गया है।
2. क्या यह बात सही है, कि उक्त PHC भवन का हैन्डओभर नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता को ईलाज के लिए काफी परेशानिओं का सामना करना पड़ता है ;		प्रश्नाधीन क्षेत्र के ग्रामीणो को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेड़ो एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पहाड़कडरीया, करकड़ी, तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकोपी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार PHC भवन को हैन्डओभर कराकर चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरकोपी के ओ0पी0डी0 का निर्माण पूर्ण कराकर हस्तगत करा लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 05/19– 70 स्वा0, राँची, दिनांकः 17.1.19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 106/वि0स0, दिनांक– 11.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

(3)

श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न सं0–स–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड में अधिकांश पंचायत उग्रवाद प्रभावित, ग्रामीण एवं पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ के शिक्षित युवतियाँ नर्स ट्रेनिंग सेन्टर नहीं होने के कारण या तो बेरोजगार है, या उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित हो जाती है, या पलायन कर जाती है ;	अस्वीकारात्मक। मात्र नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के नहीं होने से पलायन अथवा उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित होने का कोई कारण नहीं है।
2. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत बोकारो में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर भवन सदर अस्पताल परिसर पर बना हुआ है, एवं संचालन प्रक्रिया हेतु अंतिम स्तर पर है, परन्तु उक्त सेन्टर की दूरी नावाडीह से लगभग 60 कि0मी0 है, तथा ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर फुसरो में निर्माणाधीन है, जिसकी दूरी नावाडीह से लगभग 20 कि0मी0 है ,	बोकारो जिलान्तर्गत बोकारो में ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर भवन सदर अस्पताल परिसर पर बना हुआ है एवं संचालन हेतु प्रक्रिया अंतिम स्तर पर है तथा एक ए0एन0एम0 ट्रेनिंग सेन्टर फुसरो में नवनिर्मित होकर दिनांक–27.03.2018 को हस्तगत किया जा चुका है, तथा उक्त ट्रेनिंग सेन्टर के संचालन प्रारंभ होने के पश्चात् बेरमो अनुमण्डल के शिक्षित महिलाओं को ए0एन0एम0 प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों ट्रेनिंग सेन्टर के प्रारंभ होने के पश्चात् भी दूर होने के कारण उग्रवाद प्रभावित सुदुरी ग्रामीण एवं पिछड़ा क्षेत्र नावाडीह प्रखण्ड के शिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण का उचित लाभ नहीं मिल सकेगा ;	अस्वीकारात्मक। फूसरो ट्रेनिंग सेंटर में नावाडीह प्रखण्ड के महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देवी महतो स्मारक इण्टर महाविद्यालय के बगल में निर्मित छात्रावास भवन में नर्स ट्रेनिंग कोर्स ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 की पढ़ाई कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–10 / क्यू (वि0स0)–01–01 / 2019 – 20(10) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17/1/19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 126 / वि0स0 दिनांक 11.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17/1/19
सरकार के उप सचिव।

(4)

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 02 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि बगोदर विधान सभा अन्तर्गत बिरणी प्रखंड स्थित भरकट्ठा उप स्वास्थ्य केन्द्र जर्जरावस्था के साथ–साथ अक्सर बन्द पड़ा रहता है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बिरणी प्रखण्ड के भरकट्ठा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुलाडीह अवस्थित है एवं पूर्णतः कार्यरत है। विभागीय पत्रांक– 997 दिनांक 06.08.18 के द्वारा सिविल सर्जन/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन की मांग की गई है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुलाडीह में एक स्वास्थ्य प्रशिक्षक, एक ए0एन0एम0, एवं एक महिला वार्ड अटेन्डेन्ट पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी के चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा रोस्टर के अनुसार सप्ताह में एक दिन चिकित्सा सुविधा दी जा रही हैं।
2. क्या यह बात सही है कि खंड–01 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र का बन्द रहने व संसाधनों के उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रखंड के 28 पंचायतों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवायें नहीं मिल पा रही है ;		बिरनी प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी संचालित है जिसके माध्यम से उक्त प्रखण्ड के 28 पंचायतों के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है उक्त के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुलाडीह एवं आस–पास में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पेशम, चितनखाट्टी एवं शीतलटोला संचालित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जर्जर उप स्वास्थ्य केन्द्र का पुनःनिर्माण कार्य कराते हुए खंड–02 मे वर्णित पंचायतों के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं कराने के दोषियों पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वर्तमान मे प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण/मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक 58 दिनांक 15.01.19 के द्वारा संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गिरिडीह से जाँच कर प्राक्कलन की मांग की गई है। प्राक्कलन/प्रतिवेदन प्राप्त होते ही विभाग के द्वारा शीघ्र अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।
ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 03/19– 72 स्वा0, राँची, दिनांकः 17·1·19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 80/वि0स0, दिनांक– 10.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

05

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–07 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत गोड्डा नगर परिषद् क्षेत्र में कई स्थानों में गोचर भूमि है,		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा नगर परिषद् क्षेत्र घनी शहरी आवादी होने के कारण गोचर भूमि पर पशुपालक नहीं है, जिस कारण उक्त भूमि अतिक्रमण का शिकार होते जा रहा है,		आंशिक स्वीकारात्मक। चिन्हित अतिक्रमण पर वाद प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि नगर परिषद् क्षेत्र में कई नई योजना का क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि शहर में जमीन उपलब्ध नहीं है,		स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर परिषद् क्षेत्र में गोचर भूमि का नेचर परिवर्तन करते हुए लम्बित योजनाओं का क्रियान्वयन कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?		विभागीय संकल्प सं.–5959/रा., दिनांक–17.11.2016 द्वारा झारखण्ड राज्य अन्तर्गत संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध मे गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने एवं उसे अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया गया है (संलग्न अनुलग्नक–I)।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स.भू.वि.स.(तारांकित)–17/2019.....216.....(5)/रा., राँची, दिनांक–17-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–124/वि.स., दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.1.19
सरकार के संयुक्त सचिव।

Comp/G/Ddrive/All folder/Vidhan Sabha-18d

अनु०-I

R-LRD/7/2016
17/11/2016

संख्या–5 / स.भू. दुमका(सोलर पावर)–107 / 15...5959 / रा.

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राँची, दिनांक–17-11-16

:: संकल्प ::

विषयः–झारखण्ड राज्य अन्तर्गत संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने एवं उसे अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–25.05.2016 के मद संख्या–14 के रूप में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–3261 / रा. दिनांक–30.05.2016 के द्वारा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित किया गया है।

2. संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा–38 में गोचर भूमि को बंदोबस्त आदि नहीं किया जा सकता है। परन्तु लोक प्रयोजन हेतु अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अर्जित / हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के परिधि में गोचर भूमि रहने पर गोचर भूमि को भी अर्जित / हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में जितनी गोचर भूमि अर्जित / हस्तांतरित हेतु आवश्यक है, उतनी ही अन्य भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित कर अर्जित / हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकती है।

3. संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका प्रक्षेत्र में गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'Civil Appeal No.-436/2011 [Arising out of SLP (C) No.-20203/2007], State of Jharkhand and others versus Pakur Jagran Manch reported in (2011) 2 SCC 591. में पारित आदेश के आलोक में महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा परामर्शित किया गया है कि :–

"The Hon'ble Supreme Court in paragraph 24 and 25 of the above referred judgment reported in SCC which is also contained in paragraph 15 of the copy as appended in the correspondence side of the file mentions that :

Whenever it becomes inevitable or necessary to dereserve any Gochar for any public purpose (Which as stated above should be as a last resort), the following procedure contemplated in regulation 24 and 25 and section 38(2) should be strictly followed:-

(a) The Jurisdictional Deputy Commissioner shall prepare a note/report giving the reasons why the Gochar had been identified for any non grazing public purpose and record the non availability of other suitable land for such public purpose. The Deputy Commissioner shall send the said proposal for de-reservation to the State Government for its previous sanction.

कृ.पृ.उ.

E/all file/2.Draft /Manoj

(b) The state government should consider the request for sanction keeping in view the object of Gochar and the need for maintaining a minimum of 5% of village area as Gochar, and call for suggestions/objections from the villagers before granting sanction.

(c) If the state Government grants the sanction, the Deputy Commissioner should proceed to make an order de reserving, the Gochar by making appropriate entries in the record of rights and reclassify the same for the purpose for which it was de reserved.

(d) Whenever the Gochar in a village is de reserved and diverted to non grazing use, simultaneously or atleast immediately thereafter the state should make available alternative land as Gochar, in a manner and to an extent that the Gochar continues to be not less than 5% of the total extent of the village as provided under section 38(2) of the Tenancy Act.

When the Gochar is not Government land, but is village common land resting in the villagers and not the Government, the consent of the village headman and the Jamabandi Raiyats/Villagers in whom the land vests shall have to be obtained before de reservation and diversion of use of Gochar.

It appears from the records that necessary formalities as per law have been complied and the substituted land has also been proposed, therefore I do not find any impediment for the State Government in taking a final decision in the matter as proposed."

4. उल्लेखनीय है कि दिनांक–09.07.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं विभिन्न विभागों द्वारा की गई अधियाचना के त्वरित निष्पादन हेतु जमीन की आवश्यकता के मद्देनजर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है।

5. प्रायः देखा जा रहा है कि विभागीय संकल्प संख्या–3261/रा. दिनांक–30.05.2016 के द्वारा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित किये जाने के बावजूद भी विभिन्न परियोजनाओं/योजना के लिए विभिन्न विभागों से भूमि की उपलब्धता के लिए प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनको वांछित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु उतना ही अन्य गैरमजरूआ भूमि गोचार अधिसूचित नहीं हो पा रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यदि संबंधित उपायुक्तों को संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित की जाती है, तो राज्य सरकार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि शीघ्रता से अधिसूचित किया जा सकेगा, फलस्वरूप भू–हस्तांतरण की कार्रवाई भी शीघ्रता से निष्पादित किया जा सकेगा।

6. अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–16.11.2016 में मद संख्या–8 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं–3261, दिनांक–30.05.2016 को संशोधित करते हुए संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने एवं उसें अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

17/11/16

(उदय प्रताप)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/स.भू. दुमका(सोलर पावर)–107/15.....5959/रा., राँची, दिनांक–17-11-16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय एवं प्रकाशन, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/स.भू. दुमका(सोलर पावर)–107/15.....5959/रा., राँची, दिनांक–17-11-16

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखंड, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5/स.भू. दुमका(सोलर पावर)–107/15.....5959/रा., राँची, दिनांक–17-11-16

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/16

सरकार के संयुक्त सचिव

MOMENTUM JHARKHAND
The investment destination

E/all file/2.Draft /Manoj

(6)

श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित
प्रश्न सं0–स–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है जिसके कारण स्थानीय जनता को सरकार द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। जमुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुआ को परिवर्तित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा देते हुए स्थानीय जतना को स्वास्थ्य लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–15 / वि0स0–07–72 / 2018 - 3815) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17/1/19
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 128 / वि0स0 दिनांक–11.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

17.1.19
सरकार के उप सचिव।

(07)

श्रीमती सीमा देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–03 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सीमा देवी, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि विभाग के पत्रांक–4165, दिनांक–09.08.2017 द्वारा संसूचित है कि सोनाहातु अंचल में मुण्डारी खुटकट्टी जमीन के नामांतरण प्रक्रिया /शेष वसूली करने के आदेश के संबंध में दोषी पाये जाने पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा की गयी है परन्तु इस संबंध में विभाग द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पत्रांक के आलोक में दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर शीघ्र कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–175/रा0, दिनांक–16.01.2019 द्वारा संबंधित कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध उपायुक्त, राँची से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी है। प्रतिवेदन उपलब्ध होते ही आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि०स0 (तारा0)–06/19 – 218/रा दिनांक– 17-01-19

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–120 वि0स0, दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(08)

श्रीमती सीमा देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती सीमा देवी, माननीया स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सोनाहातु प्रखण्ड के डोमनडीह निवासी श्री रमेश चन्द्र महतो की पत्नी श्रीमती दुरो देवी उर्फ द्रोपदी देवी को वर्ष 2005–06 में भूमिहीन दर्शाकर 2 एकड़ जमीन बन्दोबस्त तत्कालीन अंचलाधिकारी द्वारा किया गया है;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त बन्दोबस्ती में अनियमितता के आरोप में तत्कालीन अंचलाधिकारी श्री आलोक कुमार को लोकायुक्त द्वारा दोषी माना गया है;		स्वीकारात्मक। इस संबंध में माननीय लोकायुक्त कार्यालय के उप सचिव के पत्रांक–5762, दिनांक–09.10.18 के द्वारा अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्कालीन अंचलाधिकारी पर कार्रवाई के साथ खण्ड (1) में वर्णित बन्दोबस्ती को रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		खण्ड–1 में वर्णित बन्दोबस्ती को रद्द करने के संबंध में अंचल अधिकारी, सोनाहातु को प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया है। श्री आलोक कुमार झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी है जिसका प्रशासी विभाग कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग है। माननीय लोकायुक्त कार्यालय के उप सचिव के पत्रांक–5762, दिनांक–09.10.18 के संदर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाना है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–9/वि0स0 तारां0–02/2019.....222.....(9)/रा0 राँची, दिनांक–17.01.2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–121/वि0स0, दिनांक–11.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.19

सरकार के अवर सचिव

कू0पृ0उ0

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(9)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–01 का उत्तर सामग्री :–

1	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती गंगोत्री कुजूर माननीय सदस्य विधानसभा।	उत्तरदाता श्री राज पलिवार माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड में आई०टी०आई० संस्थान नहीं है, जबकि यह प्रखण्ड शिक्षित प्रखण्ड के रूप में जाना जाता है;	उत्तर– स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि आई०टी०आई० संस्थान के अभाव में यहाँ के शिक्षित युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रोजगार प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है;	उत्तर– आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेड़ो प्रखण्ड में आई०टी०आई० कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उत्तर–राज्य स्तर पर आई०टी०आई० की आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर राँची जिलान्तर्गत बेड़ो प्रखण्ड में नये औ०प्र० संस्थान का निर्माण कार्य पर सरकार विचार करेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(युगेश्वर पासवान)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–01 / श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–55 / 2019श्र०नि०– 138 **राँची, दिनांक–** 17/01/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–84, दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.1.19

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-55-2019.docx

(10)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–05 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जन संवाद में गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड पंचायत लक्ष्मणटुण्डा के पं0स0स0 श्रीमती सुनीता देवी द्वारा अंचलाधिकारी, डुमरी रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के उपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था;		वस्तुस्थिति यह है कि श्रीमती सुनिता देवी, सदस्या, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत लक्ष्मणटुण्डा, प्रखण्ड–डुमरी, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव के अ0स0प0सं0–7300781, दिनांक–16.03.18 द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–2353, दिनांक–05.06.18 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह को भेजा गया है एवं पत्रांक–3091/रा0, दि0–21.07.18, पत्रांक–3430/रा0, दि0–14.08.18, पत्रांक–4520/रा0, दि0–05.11.18 एवं अ0स0प0–5085/रा0, दि0–26.12.18 द्वारा स्मारित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्तकाल मामले को संज्ञान में लेकर अंचलाधिकारी, डुमरी को तत्तकाल प्रभाव से हटाने का आदेश के साथ अंचलाधिकारी के सम्पति को ए0सी0बी0 से जाँच करवाने का भी आदेश 2018 में ही आला अधिकारियों को दिये गये है ;		श्री रवीन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी, डुमरी की सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस किये जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय पत्रांक–5110/रा0, दिनांक–27.12.18 द्वारा प्रस्ताव पर सहमति हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग से अनुरोध किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी अंचलाधिकारी, डुमरी को अभी तक नहीं हटाया गया और न ही ए0सी0बी0 जाँच कराया जा रहा है ;		उपरोक्त कंडिका–2 में उत्तरित। साथ ही उपायुक्त, गिरिडीह से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अंचलाधिकारी, डुमरी को तत्तकाल प्रभाव से हटाने और उनकी सम्पति का जाँच ए0सी0बी0 से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका–3 में उत्तरित।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–9/आरोप वि0स0 तारांकित–03/2019.....219.....(9)/रा0 राँची, दिनांक– 17-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–122/वि0स0, दिनांक–11.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.19

सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prashn uttar dec 2018.docx

(11)

श्री रामकुमार पाहन, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के चतरा पंचायत के ढेलुवाखुँटा गाँव में स्थित उप–स्वास्थ्य केन्द्र की स्थिति अत्यंत जर्जर अवस्था में है ;		स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक 997 दिनांक 06.08.18 के द्वारा सिविल सर्जन/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से मरम्मति हेतु प्राक्कलन की मांग की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त उप–स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर रहने के कारण कभी भी गिर सकती है एवं अप्रिय घटना घट सकती है ;		कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जर्जर उप–स्वास्थ्य केन्द्र के स्थान पर नये उप–स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		वर्तमान मे प्रश्नाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण/मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक 57 दिनांक 15.01.19 के द्वारा संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, राँची से जाँच कर प्राक्कलन की मांग की गई है। प्राक्कलन/प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग के द्वारा शीघ्र अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।
ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 02/19– 71 स्वा0, राँची, दिनांकः 17·1·19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 81/वि0स0, दिनांक– 10.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

(12)

श्री नागेन्द्र महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0–01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि बगोदर विधान सभा अन्तर्गत सरिया प्रखंड स्थित सरिया उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण अर्धनिर्मित अवस्था में है ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–104(6)ब दि0 31.7.2007 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु योजना की स्वीकृति दी गई थी। जिसका निर्माण कार्य विभागीय रूप से प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2010 से विभागीय कार्यो पर रोक लगाये जाने के कारण कार्य अधूरा है। वर्त्तमान मे विभाग के द्वारा प्रश्नाधीन योजना का अधूरे कार्य पूर्ण कराने के निमित विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 138 दिनांक 11.10.18 एवं विभागीय पत्रांक 1402 दिनांक 22.11.2018 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होते हीं निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु विभाग के द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि खंड–01 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण पूर्ण नहीं होने से ग्रामीण आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है ;	अस्वीकारात्मक। वर्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया में डा0 विनय कुमार, डा0 सोमनाथ सरकार,(आयुष), डा0 ललन कुमार (आयुष) एव डा0 रमापती (होमियोपैथ) तथा श्रीमती सुनीता कुमारी एवं मंजू कुमार, ए0एन0एम0 तथा सात स्वास्थ्य कर्मी पदस्थापित एवं कार्यरत है जिसके माध्यम से उक्त क्षेत्र के ग्रामीणों को चिकित्सा सेवा दी जा रही है। साथ ही सरिया प्रखण्ड में कुल 11(ग्यारह) स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है जिसके माध्यम से भी ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि खंड–01 एवं 02 में वर्णित उप–स्वास्थ्य केन्द्र का संचालन नहीं हो पाने के कारण गरीब ग्रामीण मरीजों का असमय मौत होने लगी है ;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने तथा दोषी संवेदक एवं पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरिया का अधूरे कार्य पूर्ण कराने तथा कार्य योजना अबतक लंबित रहने के लिए जिम्मेवार पदाधिकारी/अभियंताओं को चिन्हित कर प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की मांग विभागीय अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 138 दिनांक 11.10.18 एवं विभागीय पत्रांक–1402 दिनांक 22.11.2018 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से की गई है। उपायुक्त, गिरिडीह से प्रतिवेदन प्राप्त होते ही दोषी के विरूद्व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ हीं निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु विभाग के स्तर से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 01/19– 69 स्वा0, राँची, दिनांक: 17/1/19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 79/वि0स0, दिनांक–10.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
सरकार के अवर सचिव।

(15)

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक–18.01.2019 को सदन में पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–विधि–01 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल न्यायालय महागामा में स्टाम्प भेंडर एवं नोट्री की व्यवस्था नहीं है, और ना ही अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था है ;	:–	गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा अनुमंडल विशेष के लिए कोई लेख्य प्रमाणक (नोटरी) की नियुक्ति नहीं की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुमंडल न्यायालय महागामा में भेंडर एवं नोट्री की व्यवस्था नहीं होने एवं अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण न्यायालय से संबंधित काम कराने वाले लोगों को कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है ;	:–	कंडिका–(1) के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुमंडल न्यायालय महागामा में स्टाम्प भेंडर एवं नोट्री की व्यवस्था के साथ अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तों क्यों ?	:–	गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा अनुमंडलीय न्यायालय का गठन अभी विचाराधीन है, सम्प्रति उक्त अनुमंडल में चार (04) हजार से कम वाद होने के कारण मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक–25.06.2018 को हुए एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्ताव को वर्तमान में स्थगित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–ए0/विधि–(वि0स0प्र0)–13/2018– 127 /जे0, राँची, दिनांक– 17 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–103/वि0स0, दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

17.1.2019

(संजय प्रसाद)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

(14)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत हजारीबाग रोड ईरबा से रूक्का, हुटुप, सालहन, बेड़वारी, पुरूलिया रोड तक कई कंपनियों, संस्थाओं एवं ग्रामीणों के द्वारा 200 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमित किया गया है जिससे बाईपास रोड के निर्माण में काफी समस्याएँ उत्पन्न हो गई है;		आंशिक रूप से अतिक्रमण पाया गया है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त रोड की मापी कराकर अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमण मुक्त करने हेतु बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–4/स0भू0वि0स0 राँची (तारां0)–04/2019.....217.....(4)/रा0 राँची, दिनांक–17-01-19

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–78/वि0स0, दिनांक–10.01.19 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय विभागीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(15)

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0– 12 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज C.H.C. सेन्टर हुसैनाबाद अनुमण्डलीय अस्पताल तथा हैदरनगर हेल्थ एवं वेल्थ सेन्टर में डॉक्टर की कमी है, जिसके कारण वहाँ के मरिजों को जिला मुख्यालय आना पड़ता है ? ;	(क) आंशिक स्वीकारात्मक। (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज, पलामू में 3 चिकित्सा पदाधिकारी कार्यरत है। 01.01.18 से 31.01.18 तक उपचार किये गये मरीजों की संख्या निम्नवत् है :– वाह्य विभाग – 28812 अन्तः विभाग – 921 आपात विभाग – 1648 (ग) अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद में 03 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत है। 01.01.18 से 31.01.18 तक उपचार किये गये मरिजों की संख्या निम्नवत् है :– वाह्य विभाग – 131336 अन्तः विभाग – 9823 आकस्मिक विभाग – 6557 (घ) हेल्थ एवं वेल्नेस सेन्टर, हैदरनगर पी0एच0सी0 में 2 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत है। विशेष चिकित्सा अथवा विशेषज्ञ सलाह के लिए मरीजों को सदर अस्पताल, मेदिनीनगर में भेजा जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब सभी अस्पतालों में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 20 / वि0स0–03–02 / 2019 43(3) राँची, दिनांक: 17.01.2019

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 127 / वि0स0 दिनांक 11.01.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.2019

सरकार के अवर सचिव

(16)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–06, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न		उत्तर
	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, पिपरा, हरिहरगंज, मोहम्मदगंज प्रखण्डों के सभी भू–स्वामीयों द्वारा जमीन का ऑनलाईन खतियान त्रुटि से संबंधित कुल 4520 आवेदन सुधार हेतु दिया गया है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अभीतक ऑनलाईन खतियान त्रुटि सुधार नहीं होने के कारण वर्णित भू–स्वामियों को जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाईन दिखाई नहीं देने से संशय की स्थिति उत्पन्न हो गया है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब त्रुटि सुधारने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं क्यों ?		Data Digitization से संबंधित त्रुटि निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक–602 / नि0रा0, दिनांक–06.11.2018 के द्वारा वर्ष के 365 दिन पोर्टल खुला रहने की व्यवस्था की गई है। त्रुटि सुधार की प्रक्रिया त्वरित गति से जारी है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01 / निदे0अभि0, वि0स0 (तारां0)–02 / 2019–...45/ नि0 रा0, राँची, दिनांक–17-01-19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–123 / वि0स0 दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-01-19
सरकार के अवर सचिव।

F:\shikha\sec2\bidhan sabha Question shikha (17-01-2019).docx

(16)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.01.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या रा0–06, प्रश्नोत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्न		उत्तर
	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय स0वि0स0		**श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन, एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, पिपरा, हरिहरगंज, मोहम्मदगंज प्रखण्डों के सभी भू–स्वामीयों द्वारा जमीन का ऑनलाईन खतियान त्रुटि से संबंधित कुल 4520 आवेदन सुधार हेतु दिया गया है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि अभीतक ऑनलाईन खतियान त्रुटि सुधार नहीं होने के कारण वर्णित भू–स्वामियों को जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाईन दिखाई नहीं देने से संशय की स्थिति उत्पन्न हो गया है।		आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब त्रुटि सुधारने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं क्यों ?		Data Digitization से संबंधित त्रुटि निराकरण हेतु विभागीय पत्रांक–602/नि0रा0, दिनांक–06.11.2018 के द्वारा वर्ष के 365 दिन पोर्टल खुला रहने की व्यवस्था की गई है। त्रुटि सुधार की प्रक्रिया त्वरित गति से जारी है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01/निदे0अभि0, वि0स0 (तारां0)–02/2019–45/रा0, राँची, दिनांक–17-01-19

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–123/वि0स0 दिनांक–11.01.2019 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-01-19
सरकार के अवर सचिव।

F:\shikha\sec2\bidhan sabha Question shikha (17-01-2019).docx

(17)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.01.19 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	**श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1. क्या यह बात सही है, कि राज्य के सबसे प्रमुख चिकित्सा संस्थान रिम्स में विभागीय पदाधिकारियों के लापरवाही में मरीजों से ली जाने वाली कुल–99.42 लाख रूपयें राशि की कैश काउंटर घोटाला इन्फोटेक लिंक ट्रेडकॉम प्रा0 लि0 द्वारा कर ली गई और अब तक उक्त मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ;	अस्वीकारात्मक। प्रधान महालेखाकर (ले0 प0), झारखण्ड, राँची द्वारा रिम्स, राँची के वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक की अवधि का अंकेक्षण के दौरान मेसर्स इन्फोटेक लिंक द्वारा रिम्स के कैश काउंटर के संचालन में कुल 99.42 लाख रूपये के वित्तीय अनियमित्ता की आपत्ति उठाई गई है। जाँच के दौरान पाया गया कि कैश काउन्टर से रिफन्ड के लिएं प्रस्तुत किए गए दावा के अनुसार रिफण्ड भउचर उपलब्ध नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए मेसर्स इन्फोटेक लिंक को उक्त भाउचर के समायोजन प्रस्तुत करने हेतु साक्ष्य उपस्थापित करने का निदेश कार्यालय ज्ञापांक–2780 दिनांक–20.04.2017 द्वारा दिया गया था, परन्तु समय से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कानूनी सलाह प्राप्त कर एजेन्सी के विरूद्ध बरियातु थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जो अनुसंधान अंतर्गत है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में जब कम्पनियों को महत्वपूर्ण कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है तो उसकी सम्बंधित पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जाँच पड़ताल नहीं की जाने के कारण ही उक्त कम्पनियाँ घोटाले कर भाग जाती है और सरकार कार्रवाई से वंचित रह जाती है ,	रिम्स शासी परिषद की 9वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में रिम्स क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार खण्ड–01 में वर्णित कम्पनी को जमशेदपुर के एक अस्थाई पता पर अवस्थित कार्यालय को देखते हुए कार्य आवंटित कर दी जो नियम सम्मत प्रतीत नहीं होती है ;	अस्वीकारात्मक। मसर्स इन्फोटेक लिंक के तत्कालीन शाखा कार्यालय के पता– 203, सरोजीनी अपार्टमेंट, द्वितीय तल्ला, नियर दुरदर्शन, राँची (ऐजेन्सी के लेटर हेड के अनुसार) को कार्यादेश सं0–142 दिनांक–12.01.2006 निर्गत किया गया था। परवर्ती समय में एजेन्सी द्वारा जमशेदपुर से कार्य संचालन किया जाने लगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित मामले की भरपाई लापरवाह संलिप्त दोषी पदाधिकारियों से करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संबंधित मामला माननीय व्यवहार न्यायालय तथा पुलिस प्रशासन के विचारधीन है। बरियातु थाना में कार्यालय ज्ञापांक–7523 दिनांक–02.11.2017 द्वारा IPC के धारा 406, 420 एवं 120बी के अन्तर्गत दर्ज किये गये FIR Case No.-341/17 दिनांक–06.11.2017 के आधार पर जाँच चल रही है। न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–11 / रिम्स (वि0स0)–05–01 / 2019 14(11) स्वा0 / राँची / दिनांकः– 17/01/2019

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 82 / वि0स0 दिनांक 10.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(19)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.01.2019 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 05 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि सरायकेला–खरसावां जिला के आमद मौजा में 500 बेड वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य 2012 में प्रारम्भ हुआ था, परंतु अबतक पूर्ण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नाधीन योजना विभागीय पत्रांक–262(5)ब दिनांक 18.03.2011 द्वारा कुल 153.9614 करोड़ रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उक्त योजना में अबतक कुल 146.89 करोड़ रुपए आवंटित किया जा चुका है। इस योजना का कार्य अभियंत्रण कोषांग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही थी, अभियंत्रण कोषांग को भवन निर्माण विभाग में समाहित होने के उपरांत प्रश्नाधीन योजना का कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उक्त कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 04/19– 68 स्वा0, राँची, दिनांकः 17·1·19

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 105/वि0स0, दिनांक– 11.01.2019 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/1/19
अवर सचिव।